

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बॉक्स नं.11500,मुम्बई-400 020

सं. 28(19)/2006-एम एस/

दिनांक-26 मई 06

परिपत्र सं.1
(2006-2007 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

तकनीकी सलाहकार सह मानिट्रिंग समिति (त स सं स) की मुंबई में दिनांक 9 मई 2006 को हुई 28 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(iii) प्रौ उ नि यों के अंतर्गत जीप फास्टनर्स अथवा जीपर का निर्माण करने वाली मशीनरी का सम्मिलित किया जाना ।

प्रौ उ नि यो के सा नि (जी आर) के अनुलग्नक डी-2 के अंतर्गत क्र.सं. बी (5) से (7) तक में जीप फास्टनर्स अथवा जीपर निर्माण की मशीनरी शामिल की गई है :-

अनुलग्नक-डी-2 बी (5) आटोमेटिक कॉयलिंग वाइंडर मशीन ।

बी (6) आटोमेटिक फास्टनिंग टेप असेम्बलिंग फीक्सचर्स ।

बी (7) आटोमेटिक जॉयनिंग एवं वाइंडिंग मशीन ।

(iv) प्रौ उ नि यो के अंतर्गत फ्लैक्सोग्राफिक प्रीटिंग मशीनरी का वोवेन सैकों की /बैगों एवं अन्य तकनीकी टेक्सटाइल्स की प्रीटिंग हेतु शामिल किया जाता ।

प्रौ उ नि यो के सा.नि. के अनुलग्नक डी-2 के क्रम सं. बी (8) के अंतर्गत फ्लैक्सोग्राफिक प्रीटिंग मशीन को वोवेन शैकों/बैगों/ अन्य टैक्निकल टेक्सटाइल्स सामानों के उत्पादन संबंधी सम्पूर्ण प्लांट के हिस्से के रूप में निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है :-

अनुलग्नक डी-2 बी (8) फ्लैक्सोग्राफिक प्रीटिंग मशीन को वोवेन शैक/बैगों/ अन्य तकनीकी टेक्सटाइल्स सामानों के उत्पादन में संपूर्ण प्लांट के रूप में ग्राह्य होगी यद्यपि यह मशीन अकेले के आधार पर पात्र नहीं है ।

1. आई डी बी आई / सीडबी बैंकों द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन ।

(ए) वस्त्र उद्योग क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में लघु औद्योगिक विकास बैंक ने एच.डी.एफ.सी बैंक लि. द थाणे जनता सहकारी बैंक लि., थाणे, द अकोला जनता कामर्शियल को ऑपरेटिव बैंक लि., अकोला एवं श्री बाणशंकरा महिला को ऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर को सहयोजित किया है ।

(बी) वस्त्र उद्योग क्षेत्र की गैर लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया (आई डी बी आई) ने जोरेस्टियन को ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई को सहयोजित किया है ।

उपरोक्त प्रौ उ नि यो के संशोधनों / स्पष्टीकरणों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
2. आईडीबीआई एवं सिडबी के सभी प्रा. ऋ. संस्थान
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
4. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
5. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
6. सभी विद्युत करघा सेवा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी
7. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
8. सभी ई.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक
9. विकास आयुक्त (हथकरघा)
10. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
11. पटसन आयुक्त
12. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
13. महानिदेशक, एनआईएफटी
14. प्रमुख वृत्त अभिकरण

उपरोक्त संदेश को समाचार पत्रों/आवधिकों/पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित/समावेश करके प्रौ.उ.नि. योजना में किए गए संशोधनों/आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचना हेतु :-

1. आईएम.एस.सी. एवं टी.ए.एम.सी. के सभी सदस्य
2. श्री अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
3. श्री अजय कुमार, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त